UPMO0101002504–2019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-**11,** मुरादाबाद,
पीठासीन अधिकारी– (मोहित शर्मा), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02755**

लघुवाद निगरानी संख्या–14/2017

लघुवाद निगरानी संख्या–10/2019

(मूल पत्रावली एस0 सी0 सी0 आर0– 09/2013)

राकेश कुमार महेश्वरी आदि बनाम जयकुमार मिश्रा आदि

01.4.2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष मय वि0 अधिवक्ता उपस्थित है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दोनों ही निगरानियों में प्रार्थनापत्र 6ग के कन्टीन्यूटी में 41ग जो एस0 सी0 आर वाद संख्या 14/2017 में तथा प्रार्थनापत्र 5ग के कन्टीन्यूटी में 29ग लघुवाद निगरानी संख्या 10/2019 में वास्ते डिक्री के निष्पादन को स्टै किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। दोनों ही निगरानी में जो प्रार्थनापत्र तथा उनकी आपत्तियां प्रस्तुत किये गये है क्योकि वह एक ही सम्पत्ति से सम्बन्धित है तथा पक्षकार भी लगभग समान **है** इसलिये इनको सुविधा की दृष्टि से न्याय हित में इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को **प्रार्थनापत्र सं0– 05 ग व 29ग व 6ग व 41ग** पर सुना गया है। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 05ग व 29ग व 6ग व 41ग

प्रार्थनापत्र 05ग राकेश कुमार महेश्वरी की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि निगरानीकर्तागण ने लघुवाद न्यायाधीश मुरादाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22–1–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी योजित की जिसमे सफलता की पूर्ण आशा है यदि दौरान विचारण प्रस्तुत निगरानी सम्बन्धित विविध/इजरा वाद संख्या 06/2017 की अग्रिम कार्यवाही स्थगित ना फरमायी गयी तब निगरानी योजित करने का उददेश्य समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थीगण को असीम हानि पहुंचेगी जिसका निफाज धन से होना सम्भव ना होगा ऐसी दशा में अवर न्यायालय में लम्बित इजरा संख्या 06/2017 की अग्रिम समस्त कार्यवाही रोकी जानी न्याय हित में आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र निगरानीकर्तागण **राकेश कुमार महेश्वरी 29ग** इस आशय का प्रस्तुत किया गया उक्त निगरानी न्यायालय के आदेश तक निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 के क्रियान्वयन को स्थगित करने हेतु प्रार्थनापत्र गुजारा था जिस पर ववक्त निगरानी के अंगीकरण के समय विपक्षी द्वारा ततकालीन जिला जज के समक्ष यह कथन किया था कि निगरानी तय होने तक इजरा की कार्यवाही पर बल नहीं देगें। अब रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी इजरा कार्यवाही पर बल दिया जा रहा है। अतः ऐसी सूरत में न्याय हित में निगरानी के तय होने तक इजरा संख्या 06/2017 कम्प्यूटर संख्या 16/2017 जय कुमार मिश्रा बनाम राकेश कुमार महेश्वरी का क्रियान्वयन

स्थगित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र 41ग राकेश कुमार महेश्वरी की ओर से एस0 सी0 सी0 आर0 वाद संख्या 14/2017 में इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निगरानी न्यायालय के आदेश तक निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 के क्रियान्वयन को स्थगित करने हेतु प्रार्थनापत्र गुजारा था जिस पर ववक्त निगरानी के अंगीकरण के समय विपक्षी द्वारा ततकालीन जिला जज के समक्ष यह कथन किया था कि निगरानी तय होने तक इजरा की कार्यवाही पर बल नहीं देगें। अब रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी इजरा कार्यवाही पर बल दिया जा रहा है। अतः ऐसी सूरत में न्याय हित में निगरानी के तय होने तक इजरा संख्या 06/2017 कम्प्यूटर संख्या 16/2017 जय कुमार मिश्रा बनाम राकेश कुमार महेश्वरी का क्रियान्वयन स्थगित किया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रार्थनापत्रों के विरूद्ध आपत्ति दिनांकित 27–3–2023 एस0 सी0 सी0 आर0 वाद संख्या 10/2019 में दाखिल कर कथन किया गया है कि उक्त प्रार्थनापत्र कानून में पोषणीय नहीं है। रिवीजनकर्ता ने यह कथन किया कि ,उन्होने जो उपरोक्त रिवीजन दायर किया था उसके अंगीकरण के समय मुझ विपक्षी संख्या 1 डिक्रीदार द्वारा तत्कालीन जिला जज श्री शशिकान्त शुक्ला के समक्ष यह कथन किया कि वह निगरानी के तय होने तक इजरा की कार्यवाही पर बल नहीं देगें सर्वथा मिथ्या व गलत है। असल बाका यह है कि विविध वाद संख्या 28/2017 के दिनांक 22–1–2019 के निरस्त होने पर जो उक्त लघुवाद रिवीजन माननीय जिला जज मुरादाबाद के दायर हुआ था उस समय मुझ विपक्षी/डिक्रीदार ने दिनांक 14–2–2019 को अपनी आपत्तियां कागज संख्या 12ग तथा उनके समर्थन में शपथपत्र दिंनांक 14–2–2019 कागज संख्या 13ग दाखिल किया था तथा दिनांक 5–3–2019 को प्रार्थनापत्र के द्वारा मुझ विपक्षी संख्या 1 डिक्रीदार ने माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधिक व्यवस्थाये भी अतिरिक्त जिला जज कोर्ट नं0–5 मुरादाबाद के सम्मुख प्रस्तुत की थी। मुझ डिक्रीदार द्वारा कोई कथन न्यायालय के सम्मुख नहीं किया कि वह लघुवाद निगरानी के निस्तारण तक इजरा बल नहीं देगें और न ही उसका कोई प्रश्न उत्पन्न होता है। मुझ विपक्षी संख्या द्वारा स्टै के विरूद्ध होटली कनटेस्ट किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई कथित आश्वासन मुझ डिक्रीदार द्वारा दिया गया होता जो हरगिज स्वीकार नहीं है। निगरानीकर्तागण द्वारा माननीय इस न्यायालय में लघुवाद रिवीजन संख्या 14/2017 में दिनांक 24–3–2023 को भी प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र दिया था कि उस रिवीजन में तत्कालीन जिला जज महोदय मुरादाबाद श्री शशिकान्त शुक्ला जी के समक्ष रिवीजन के अंगीकरण के समय कथन किया था कि वह रिवीजन के दौरान इजरा संख्या 6/2017 पर बल नहीं देगें मिथ्या एवं निराधार है क्योकि वह रिवीजन तो श्री रामकृष्ण गौतम तत्कालीन जिला जज मुरादाबाद के समक्ष दिनांक 13–4–2017 को अंगीकृत हुआ था उस आदेश में भी मुझ डिक्रीदार के किसी कथित आश्वासन का उल्लेख नहीं है। निगरानीकर्ता का कोई प्राइमाफेशी केस नहीं है और उनके हक में कोई सुविधा का सन्तुलन नहीं है। निगरानीकर्तागण अवर न्यायालय में चल रही इजरा संख्या 06/2017 को स्टै करवा पाने के हरगिज पात्र नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति दिनांकित 27–3–2023 एस0 सी0 सी0

आर0 वाद संख्या 14/2017 में दाखिल की गयी है जिसमें वही कथन किया गया है जो **एस0 सी0 सी0 आर0 वाद संख्या 10/2019** में प्रस्तुत की गयी आपत्ति में किया गया है अतः उनको पुनः दोहराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अपने कथन के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी है,

1–2006 (64)ए0 एल0 आर0 866 राकेश कुमार महेश्वरी बनाम जय कुमार मिश्रा व अन्य ,

2–2014 (3) ऐपेक्श कोर्ट जजमेन्ट 232 उच्चतम न्यायालय हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 बनाम दिबबहार सिंह,

3–2013 (1) सिविल कोर्ट केसेज 833 उच्चतम न्यायालय हरदेव इन्दर सिंह बनाम परमजीत सिंह व अन्य,

प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उक्त दोनों एस0 सी0 सी0 आर0 वाद एक ही सम्पत्ति के सम्बन्ध है तथा उनमें जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये है उनके कथन समान है तथा दोनों वादों में विपक्षी की ओर से जो आपत्तियां दाखिल की गयी है वह एक समान है, इस कारण से उक्त प्रार्थनापत्रों का निस्तारण न्याय हित में एक साथ किया जा रहा है।

निगरानीकर्तागण की ओर से मुख्य तर्क यह लिया गया निगरानी प्रस्तुत करते समय तत्कालीन माननीय जिला जज, मुरादाबाद को मौखिक रूप से अवगत कराया गया था कि विपक्षी इजराय वाद में कोई कार्यवाही नहीं करेगा परन्तु अब विपक्षी द्वारा इजराय वाद में कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है तथा विपक्षी उक्त इजराय वाद में कार्यवाही प्रारम्भ करने से निगरानीकर्तागण को अपूर्णनीय क्षति हो जायेगी और उससे उसको काफी नुकसान हो जायेगा जिससे उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी। विपक्षीगण की ओर से कथन किया गया है कि उसके द्वारा तत्कालीन जिला जज महोदय को यह मौखिक रूप से अवगत नहीं कराया गया था कि उसके द्वारा इजराय वाद में निगरानी के लम्बित रहते कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । निगरानीकर्ता द्वारा इस बिन्दु पर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है उसके द्वारा इजरा में कोई कार्यवाही न करने का कथन नहीं किया गया था। निगरानीकर्तागण की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि उस समय जिला जज श्री शशिकान्त शुक्ला थे। विपक्षीगण की ओर से आपत्ति में जो लिखा गया उस समय तत्कालीन जिला जज श्री आर0 के0 गौतम कार्यरत थे। इस तर्क से इस पत्रावली पर कोई भी प्रभाव इसलियें नहीं पडता है कि उस समय कौन से जिला जज कार्यरत थे क्योंकि वर्तमान प्रकरण में जो मुख्य विवाद है कि मौखिक आश्वासन दिया गया था परन्तु पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य/कथन/आदेश नहीं है जिससे इस बात पर विश्वास व्यक्त किया जा सके कि विपक्षीगण ने मौखिक अपनी सहमति दी हो। इस स्तर पर न्यायालय को यह देखना है कि इजराय वाद की कार्यवाही को स्थगित करना है या नहीं। इस स्तर पर स्थगित नहीं किया गया तो उसका क्या परिणाम होगा। स्वाभाविक तौर पर अगर इजरा वाद की कार्यवाही अमल आ गया तो प्रस्तुत रिवीजनों को प्रस्तुत करने का औचित्य ही निगरानीकर्तागण को समाप्त हो जायेगा। यहां पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि डिक्रीदार द्वारा आपत्ति 14ग लघुवाद रिवीजन संख्या14/2017 प्रस्तुत

की गयी है जिसमें उसने लघुवाद संख्या 9/2003 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 28–2–2017 में विनिश्चयात्मक विवाद बिन्दु संख्या 1व 3 व 5 रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध निर्णीत किये गये है। जबकि उक्त लघुवाद में पारित डिक्री व निर्णय रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है। इससे भी यह तथ्य स्पष्ट होता है कि डिक्रीदार/विपक्षीगण लघुवाद संख्या 9/2003 में पारित निर्णय व आदेश में विनिश्चयात्मक विवाद बिन्दु संख्या 1, 3 व 5 में दिये गये मत से पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हैं।

जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है उस सम्बन्ध में अपूर्णनीय क्षति निगरानीकर्ता को हो सकती है तथा सुविधा का सन्तुलन भी निगरानीकर्तागण के पक्ष में है।

ऐसी स्थिति में यह न्यायालय न्यायोचित समझता है कि उक्त निगरानियों की बहस तक इजराय वाद संख्या 06/2017 की कार्यवाही दिनांक 05–4–2023 तक स्टै की जाती है। उभय पक्षो को आदेशित किया जाता है कि वह लघुवाद निगरानी संख्या 10/2019 तथा लघुवाद रिवीजन संख्या 14/2017 तथा मूल पत्रावली एस0 सी0 सी0 09/2013 में दिनांक 05–4–2023 को बहस करना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों को यह भी आदेशित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर स्टै स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। पत्रावलीयां लघुवाद निगरानी संख्या 14/2017 तथा लघुवाद निगरानी संख्या 10/2019 एवं मूल पत्रावली एस0 सी0 सी0 09/2013 वास्ते बहस दिनांक 05–4–2023 को पेश हो। इस आदेश की एक प्रति इजराय वाद संख्या 06/2017 की पत्रावली में रखने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये। पत्रावली उपरोक्त नियत दिनांक को पेश हो।

(मोहित शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0–11, ,
मुरादाबाद।
आई.डी.नम्बर–2755

Digitally signed by MOHIT SHARMA
Date: 2023.04.01 15:15:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court